बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

11 मार्च, 2022

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

कुल प्रश्न 20

बज्जिका भाषा

***24 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

कृया मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा कार्यक्रम कार्यान्वयन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण एवं सारण जिला में प्राचीन लिच्छवी गणराज्य के समय से मातृभाषा 'बज्जिका' बोली जाती रही है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे- भोजपुरी, बांग्ला, मगही तथा मैथिली भाषा अकादमी का गठन किया जा चुका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 'बज्जिका' भाषा अकादमी का भी गठन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

राशि का भुगतान कबतक

***141 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

कृया मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत

नियुक्त शिक्षकों का वेतन शीर्ष बदलकर राजकीयकृत तथा प्रोजेक्ट विद्यालय के शिक्षकों के साथ ही कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कोटि के शिक्षकों का बकाया वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में राशि नहीं दिये जाने के कारण राज्य मद से ही उनका भुगतान हो रहा था;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उसे अपने दायित्व के तहत भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विद्यालय का परिसर

***142 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री नवाब उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवहर में उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा का कार्यालय, सरकारी डिग्री कॉलेज, श्रम एवं प्रशिक्षण नियोजनालय का कार्यालय तथा अम्बेडकर कल्याण छात्रावास अवस्थित हैं, जिसके कारण उक्त विद्यालय की सारी जमीन इन्हीं संस्थाओं के उपयोग में चली गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि इस विद्यालय का परिसर एकदम संकीर्ण (छोटा) होता जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय परिसर से संस्थाओं को हटाकर स्वतंत्र जमीन पर बसाने की व्यवस्था कराने हेतु संबंधित विभाग से अनुरोध करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

आधारभूत संरचना

***143 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित राज्य के संस्कृत उच्च विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवश्यक भवन, उपस्कर, कम्प्यूटर आदि का अभाव है, फलतः पठन-पाठन बाधित हो रहा है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य

के संस्कृत विद्यालयों में आधारभूत संरचना को ठीक करना चाहती है?

लाइब्रेरियन की नियुक्ति

*144 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन तथा कॉलेज लाइब्रेरियन का पद यू०जी०सी० के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य पद है जिसकी योग्यता तथा वेतनमान असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बतलाएगी कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से यू०जी०सी० प्रावधानों के अनुरूप यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन तथा कॉलेज लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जा सकती है और नहीं तो क्यों?

रैंकिंग की व्यवस्था

*145 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता आधारित स्कूलों की रैंकिंग करने की व्यवस्था एक प्रभावकारी कदम हो सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रैंकिंग की व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है?

वेतन वृद्धि का लाभ

*146 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सूबे की पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था द्वारा नियुक्त शिक्षकों को पंद्रह (15) प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मदरसा एवं संस्कृत के शिक्षकों को भी पंद्रह प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विचार कब तक

***147 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक)ः**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आईटीआई छात्रों की शिक्षा सुविधा के लिए ई-लाइब्रेरी शुरू की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि छात्रों को प्रैक्टिकल करने में सुविधा के लिए आईटीआई संस्थानों में कम्प्यूटर लगाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि ई-लाइब्रेरी में ऑनलाइन पाठ्यपुस्तक सुविधा के लिए कुछ राशि छात्रों से ली जायेगी, जो अभी तक तय नहीं की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे ब्यौरे की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने पर विचार कर रही है?

यथाशीघ्र सामंजन

***148 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण)ः**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक – 2265, दिनांक – 29.11.2019 के आलोक में स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि खंड (क) के उक्त 2020 से मध्य विद्यालयों में प्रतिनियोजित स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षकों का उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में आजतक सामंजन नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (ख) में वर्णित स्नातक ग्रेड मध्य विद्यालयों के प्रशिक्षित शिक्षकों का यथाशीघ्र सामंजन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई

*149 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार शिक्षक नियोजन के अंतर्गत हिलसा प्रखंड नियोजन इकाई की काउंसिलिंग की जांच हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन विभागीय ज्ञापांक – 1305, दिनांक – 01.12.2021 द्वारा किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जांच समिति के द्वारा दिनांक – 09.12.2021 को नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायतकर्ता की उपस्थिति में जांच की कार्रवाई पूर्ण की गई;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जांच में शिकायत सही पाई गई तथा समिति के द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक – 13.12.2021 को पत्रांक – 346 के माध्यम से निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार को सौंप दी गई थी परन्तु जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त काउंसिलिंग को रद्द करते हुए श्री पारसनाथ गुप्ता को मेधा अंक के आधार पर नियोजित करने का निर्देश देना चाहेगी एवं उक्त काउंसिलिंग में गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहेगी, यदि हां तो कबतक?

विद्यालय के भवन का निर्माण

*150 **श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत नाथनगर स्थित कृषि महाविद्यालय, सबौर में कन्या मध्य विद्यालय मात्र तीन (3) कमरों में ही आठवीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय के भवन निर्माण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक – 593, दिनांक – 09.04.2018 के द्वारा राज्य परियोजना निदेशक, पटना को पत्र लिखा गया;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई है जिससे बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र कराकर सैंकड़ों छात्राओं को लाभ दिलाने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई करने का विचार

***151 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सेवाशर्त नियमावली, 2020 की कंडिका 18(1)(6) के तहत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह दिनों का अवकाश चयनित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित करने का प्रावधान दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि संचित अर्जित अवकाश के बदले सेवानिवृत्ति के समय, शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को किसी प्रकार का लाभ देने का प्रावधान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (क) एवं (ख) के आलोक में कार्रवाई करने का विचार रखती है?

इंक्रीमेंट का विचार

***152 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल वेतन में सरकार ने 01 अप्रैल, 2021 से 15 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो न तो प्रोन्नति हुई है न ही वेतन का उन्नयन ही हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों को जनवरी एवं जुलाई में जो भी पहले हो वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन विभागीय आदेश के पत्रांक – 1816 के अनुसार अप्रैल में मूल वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि के बाद जुलाई में वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जायेगा। जुलाई में वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं होने से शिक्षकों को 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट का नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को 15 प्रतिशत मूल वेतन में वृद्धि के बाद जुलाई में ही वार्षिक इंक्रीमेंट देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्क्रमित करने का इरादा

*153 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत असरगंज प्रखण्ड के ग्राम – विशनपुर में एक उर्दू विद्यालय स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मध्य विद्यालय के चार कि०मी० परिसर में कोई विद्यालय नहीं है, जिससे बच्चे-बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत दूर जाना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उर्दू मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करने का इरादा रखती है?

छात्रहित में नियमित करने पर विचार

*154 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के मौलाना महजरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, पटना, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय, आरा, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, पटना तथा बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर का शैक्षणिक कैलेंडर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक विलम्ब से चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इन विश्वविद्यालयों में परीक्षा और परिणाम समय पर नहीं होने से यहां के छात्रों का राज्य से बाहर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में नामांकन नहीं हो पाता है और न वे केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाते हैं तथा निजी क्षेत्रों की नौकरी पाने से वंचित हो जाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उल्लिखित सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर को छात्रहित में नियमित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

निराकरण कबतक

*155 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु दिनांक 21.09.2020 को जो विज्ञापन निकाला गया था उस विज्ञापन की कंडिका 5.5 में शैक्षणिक अनुभव से सम्बंधित प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त विज्ञापन की कंडिका 5.5 से सम्बंधित शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र की छंटनी, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा रासबिहारी सिंह कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप की जा रही है जिसमें केवल अनुभव प्रमाण पत्र कुलसचिव का हस्ताक्षर देखा जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा द्वारा शैक्षणिक अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों से शैक्षणिक अनुभव से सम्बंधित विज्ञापन चयन कमिटी का अनुशंसा पत्र, नियुक्ति पत्र, अनुमोदन पत्र, सैलरी अकाउंट डिटेल आदि का विवरण नहीं मागा जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा विज्ञापन संख्या- PPT-01/21 के आलोक में शैक्षणिक अनुभव का दावा करने वाले

अभ्यर्थियों से जब विज्ञापन चयन कमिटी द्वारा अनुशंसा पत्र, नियुक्ति पत्र, अनुमोदन पत्र आदि मांगा गया तो अधिकतर अभ्यर्थियों द्वारा उपर्युक्त प्रमाण नहीं जमा कराया गया जबकि उनमें से अधिकतर के अनुभव प्रमाण पत्र पर कुलसचिव के हस्ताक्षर थे;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की कंडिका 5.5 के आलोक में रासबिहारी सिंह कमिटी की अनुशंसा में जो विसंगतियां हैं उनका निराकरण सरकार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों?

संबंधन बहाल कबतक

***156 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पिछले सत्र के एक सवाल के जवाब में कहा था कि संबंधन की नई नियमावली भूतलक्षी प्रभाव से नहीं थोपी जाएगी, जिस संस्था का संबंधन पहले से है उनपर इसके लिए बना नया कानून लागू नहीं होगा;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने सभी अनुदानित स्कूलों की जांच करने का आदेश दिया है कि इन स्कूलों की जांच संबंधन के नये प्रावधान के अनुसार करायी जा रही है एवं नई नियमावली के तहत जांच की गई एवं खरा नहीं उतरने पर उसका संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की गई;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार की यह कार्रवाई सरकार के सदन में दिए गए वक्तव्य से भिन्न है, अगर हां तो क्या सरकार जांच की कार्रवाई रोककर उन स्कूलों का संबंधन बहाल करेगी जिनपर प्रावधान के खिलाफ कार्रवाई की गयी है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पद से हटाना

***157 डा. एन. के. यादव (स्नातक कोशी):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला के चानन प्रखण्ड अंतर्गत राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्राचार्य चानन थाना कांड संख्या- 40/18 एवं हरिजन थाना कांड संख्या- 25/18 के नामजद अभियुक्त हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में किसी भी +2 उच्च विद्यालय में नामजद अभियुक्त के प्रभारी प्राचार्य के पद पर बने रहने का नियम नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नामजद अभियुक्त को प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मदरसों को अनुदान कबतक

***158 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में 339 मदरसा शिक्षा विभाग के संकल्प सं०- 1090 की सारी शर्तों को पूरा करते हैं एवं जिनकी जांच विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा करने के उपरांत रिपोर्ट मदरसा बोर्ड को समर्पित कर दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु उनकी फाइल शिक्षा विभाग को भेज दी गई है किन्तु अभी तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सारी शर्तों को पूरा करने करने वाले 339 मदरसों को शीघ्र ही अनुदान की श्रेणी में लाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रोत्साहन राशि कबतक

***159 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2021 में इंटर पास करने वाली 4,00,000 छात्राओं को

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अबतक 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं करायी गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?